

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या: 11/XXVII(7)30(14)/2017  
देहरादून: दिनांक 17 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

वेतन समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किये जाने के साथ यह भी संस्तुति की गयी है कि भारत सरकार में प्रचलित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर भी लागू किया जाय।

2. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार में प्रचलित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को राज्य में लागू करने विषयक वेतन समिति की संस्तुति पर विचार किया गया। विचारोपरान्त शासन द्वारा राज्य में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार में प्रचलित संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना को निम्न प्राविधानों के अधीन स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. उक्त योजना को राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना "(एम0ए0सी0पी0एस0)" के रूप में जाना जाएगा जो पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम (ए0सी0पी0एस0) तथा इसके अधीन जारी किये गये समस्त शासनादेशों/आदेशों व स्पष्टीकरणों को अतिक्रमित करते हुए लागू होगी।
2. यह योजना राज्य सरकार में मौलिक रूप से नियुक्त उन सभी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी जो पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था से आच्छादित है। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का विस्तृत विवरण और इसके अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश संलग्नक-1 के रूप में संलग्न हैं।
3. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने हेतु प्रत्येक विभाग में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में एक सदस्य वित्त सेवा का अधिकारी नामित किया जायेगा। यदि किसी विभाग में वित्त सेवा का अधिकारी नहीं है तो नियुक्त प्राधिकारी किसी अन्य विभाग में नियुक्त वित्त सेवा के अधिकारी को नामित कर सकते हैं। समिति के अन्य सदस्य ऐसे राजपत्रित अधिकारी होंगे जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर विचार किए जाने वाले स्तर (Level) से कम-से-कम एक स्तर (Level) ऊपर के पद धारण किए हुए हों। स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष आमतौर पर समिति के सदस्यों के वेतन स्तर (Level) से एक स्तर (Level) ऊपर का होना चाहिए। समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अखिल भारतीय सेवा/वित्त सेवा के अधिकारियों के नामांकन के सम्बन्ध में वेतन स्तर का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
4. स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

